उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

अधिसूचना

संख्याः 112 / यू.एच.सी. / एडमिन.ए / 2016 दिनांकः दिसम्बर 17, 2016.

संविधान के अनुच्छेद 229, उपबन्ध (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन नियमावली–2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन नियमावली– 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह नियमावली उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के संवर्ग में सीधी भर्ती के 07 नवीन पदों के इस संविलियन हेतु सृजित होने पर उच्च न्यायालय के अधिष्ठान में पूर्व में सृजित कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायक के पदों पर कार्यरत कार्मिकों के संविलियन हेतु लागू होगी।

2. इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सृजित कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायक के पद मृत संवर्ग के पद समझे जायेंगें, अर्थात पद रिक्त होने पर उक्त पद स्वतः समाप्त होते जायेंगे और उक्त पदों पर सीधी भर्ती नहीं की जायेगी।

संविलियन हेतु पात्रता

3. (1) इस नियमावली के अन्तर्गत् वर्तमान में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत सभी कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायक, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन हेतु पात्र होंगें।

(2) संविलियन केवल सीधी भर्ती के इस संविलियन हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी के 07 नवीन सृजित पदों के सापेक्ष किया जायेगा।

संविलियन हेतु शर्तो का निर्धारण

4. (1) उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन के आदेश में इंगित तिथि, संबंधित कर्मचारी की उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि मानी जायेगी एवं उस तिथि के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर उसकी ज्येष्ठता, पदोन्नति एवं सेवा सम्बन्धी मामले सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु "इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अधिकारी एवं कर्मचारी (सेवा शर्तें एवं आचरण) नियमावली 1976, के अन्तर्गत् व्यवहृत होंगें। संविलियन होने वाले कार्मिकों की पूर्व में की गई सेवा की अवधि पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ हेतु आगणित की जायेगी।

(2) सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलियन के पश्चात् कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी जो कि कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री संहायक के पद पर थी।

(3)संविलियन के पश्चात् कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायकों को वर्तमान कनिष्ठतम सहायक समीक्षा अधिकारी के पश्चात् / नीचे ज्येष्ठता सूची में रखा जायेगा।

--------(2)

(4) सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर संविलिनियत होने वाले कार्मिकों का वेतन–निर्धारण उसी प्रकार किया जायेगा, जिस प्रकार सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिक का होता है। यदि किसी संविलिनियत होने वाले कार्मिक का वर्तमान में बेतन बैण्ड में वेतन उपरोक्तानुसार किये गये वेतन निर्धारण से अधिक है, तो इस दशा में संबंधित कार्मिक का वेतन बैण्ड में वेतन संरक्षित किया जायेगा तथा उसे सहायक समीक्षा अधिकारी के पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य किया जायेगा।

नियुक्तियों को संगत सेवा नियमावली के अधीन किया गया समझा जायेगा।

5. इस नियमावली के अधीन किया गया संविलियन, संबंधित कन्सोल ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री सहायक को उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में सहायक समीक्षा अधिकारी का पदनाम/वेतनमान दिये जाने की तिथि से संगत सेवा नियमावली के अधीन की गई नियुक्तियाँ समझा जायेगा।

6. संविलिनियत होने वाले कार्मिक से इस आशय का विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि क्या वह इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन संविलियन हेतु सहमत है अथवा नहीं।

मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की आज्ञा से

ह0/–
महानिबन्धक

संख्याः 6418 **/यू.एच.सी./एडमिन.ए/2016** **दिनांकः दिसम्बर** 17 **, 2016.**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्य न्यायाधीश।
2. मा0 न्यायाधीशगणों के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक को मा0 न्यायाधीशगणों के सम्मुख अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. समस्त निबंधक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त उपनिबंधक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. प्रधान पीठ सचिव, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. प्रधान निजी सचिव, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8. समस्त सहायक निबंधक/अनुभाग अधिकारी, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
9. पुस्तकालयाध्यक्ष, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उक्त नियमावली को सुसंगत पुस्तकों में तत्काल समाविष्ट करने हेतु।
10. सिस्टम एनालिस्ट, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
11. प्रभारी एन.आई.सी., मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जिला हरिद्वार को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना/नियमावली को अगले गजट में मुद्रित कराने का कष्ट करें।
13. गार्ड फाइल।

17/12/16

सहायक निबंधक
(एडमिन. ए)